

डिक्री बमुकदमें ईबादाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 या प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 532/2022

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मनजीतसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रविन्द्रसिंह पुत्र मनजीतसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. मनजीतसिंह पुत्र वीरसिंह
 2. जसविन्द्र कौर पत्नी सुखराजसिंह पुत्री वीरसिंह
 3. कुलविन्द्रकौर पत्नी जशनदीपसिंह पुत्री मनजीतसिंह
 4. गेन्दासिंह पुत्र श्री अमरसिंह
 5. जगनसिंह पुत्र श्री काहनसिंह
 6. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा खैरुवाला तहसील सादुलशहर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
- जाति जटसिख निवासी
किशनपुरा उतराधा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं० धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री कैलाश सिंवल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-
चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 108 में कुल रकबा 2.024 है. व खाता सं. 109 में कुल रकबा 3.163 है. में मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति :

1. मनजीत सिंह पुत्र वीरसिंह जाति जटसिख साकिन किशनपुरा उतराधा चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 109 में प.नं. 113/130 मु.नं. 41 कि.नं. 6,7,8,9/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.012 है. व चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता 109 में प.नं. 114/130 मु. नं. 42 कि.नं. 11/0.126 है. 12 ता 14/0.253 है.प्र. 17 ता 20/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.897 है. नहरी।
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख साकिन किशनपुरा उतराधा चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 108 में प.नं. 113/130 मु.नं. 41 कि.नं. 23,24,25/0.253 है.प्र., प.नं. 113/131 मु.नं. 50 कि.नं. 8/0.253 है. प.नं. 114/130 मु.नं. 42 कि.नं. 21/2/0.127 है. कुल रकबा 1.139 है. नहरी
3. रविन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख साकिन किशनपुरा उतराधा चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 109 में प.नं. 114/130 मु.नं. 42 कि.नं. 11/0.127 है. चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 108 में प.नं. 113/130 मु.नं. 41 कि.नं. 1,2,3,10/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.139 है. नहरी।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज प्रथम से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेग।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद या शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.5.2017 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

